मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय - वल्लभ भवन

क्रमांक - 16-20/2010/सात-जेडए भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय : राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में प्रदाय कृषि पटटों को अभिलेखों में लाल स्याही से अंकित किये जाने बावत्।

समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशानुसार पूर्व के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पट्टों पर विभिन्न वर्गों को आवंटित की गई है। कुछ मामलों में देखने में आया है कि पट्टेधारियों द्वारा यह भूमियां पट्टे प्राप्ति के कुछ समय पश्चात ही बेच दी गई। इस प्रकार का कृत्य पट्टों की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे मामले जहां भी सामने आते हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ऐसी भूमियों का कब्जा वापस लिए जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

शासकीय पट्टाधारी की भूमि राजस्व अभिलेखों में सुस्पष्ट रूप से अंकित हो, इस दृष्टि से जिलों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें -

1. प्रविष्टि में अहस्तांतरणीय लिखना : सभी शासकीय पट्टेधारियों की भूमियों के आगे अहस्तांतरणीय (लाल स्याही से) अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आपके जिले के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार को निर्देश दें कि वे पटवारियों की बैठक बुलाकर इस कार्यवाही को 10 दिवस में पूर्ण करावें।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-158 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति पट्टे अथवा आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक ऐसी भूमि को अंतरण नहीं करेगा।

इसी के साथ-साथ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-165(7)(ख) के प्रावधान भी महत्वपूर्ण है उसमें यह वर्णित है - (7-ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा-158(3) के अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी में अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना नहीं करेगा।

इसका आशय यह हुआ कि शासकीय पट्टेधारी भूमियों की भूमि का अंतरण कलेक्टर से या उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही होगा। साथ ही राजस्व अधिकारियों को कारणों का लेखीबद्ध भी किये जाने वाली अनुमति के में करना होगा।

2. शर्तें उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही : जहां यह पाया जाता है कि शासकीय भूमि के पट्टेदारों द्वारा बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये शासकीय भूमियों का अनाधिकृत अंतरण कर दिया है अथवा बेच दी गई है, उनसे उसके समस्त तथ्यों को ध्यान में लाते हुए प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे और अनाधिकृत रूप से जो अंतरण हुआ है, उसे निरस्त कर शासकीय भूमियों का वापस कब्जा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

3. मासिक समीक्षा : मासिक समीक्षा में इस कार्यवाही को लिया जावे।

कृपया आप जिले में की गई कार्यवाही का प्रथम प्रतिवेदन मुझे दिनांक 15.4.10 तक अर्द्ध शासकीय पत्र से भेजने का कष्ट करें।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Scanned with CamScanner